



सरकारी अधिनियम १९८२ तथा महासंकट निवारण ८(६) व ९ (१) १९८२ के उद्देशों के नीतिगतिके द्वारा बंधन अधिक महत्वाकांक्षी व बंधन अधिक संपत्तिके विषयकी सूचना

इस आम सूचना के द्वारा बैंक के अनुरक्त खातेदार, जमानतदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि निर्माणित व्यवस्थापन को जो बैंक बैंक महत्वाकांक्षी में बंधन है तथा निम्नका प्रकाश (नोटिसेस/ प्रेस) प्राधिकृत अधिकारी, बैंक और महत्वाकांक्षी द्वारा सरकारी अधिनियम १९८२ के अंतर्गत दिया जा चुका है। यह संश्लेषित "जहाँ है जैसी है" "जैसा है" "जहाँ भी है" तथा "दायित्व रिस्क" आधार अनुरक्त खाते में ऋण की वसूली हेतु नवीनीकृत प्रबंधन को कि नौ नवीनीकृत द्वारा विषयकी जांचगी। अनुरक्त खाता, खाताधारक, जमानतदार, बैंक पर कार्रवाई करनेसि, ऑनसाइन नौनीली द्वारा विषयकी जांचे वाली संसि का विवरण, प्राधिकृत अधिकारीकी जानकारी में किसी तरह का संपत्ति पर भार, संपत्ति पर कब्जे का भार, विषयकी जानकारी (RESERVE PRICE), नौनीली में भाग लेने हेतु जाने की जानकारी पुष्टि करसि। (EMD/AMOUNT) इत्यादीकी जानकारी निर्माणित है-

नोट: उपरोक्त सभी समर्थनियों पर भार/अन्य बाज इस्वादी की जानकारी-- प्राधिकृत अधिकारी के सञ्चालन में किसी तरह का भार/अन्य बाज जानकारी नहीं है।

विक्रय समिति निविदा पत्र पर निर्दिष्ट निमग्न एवं पुनर्निमग्न पर अनुपलान को शर्त पर जारी 'जैसा है जहाँ है' तथा "जो कुछ भी है वहीं है" दायित्व रहित आधार पर किया जायेगा।

1. यह किसी निष्पक्ष आसितियों के प्रतिस्पर्धित्व एवं पुनर्निमग्न तथा प्रतिस्पर्धित्व हित प्रस्तुत अतिरिक्त, 2002 एवं प्रतिस्पर्धित्व (संवर्धन) नियम, 2002 के प्राधान्यों द्वारा अनुशासित है एवं निम्नलिखित विधिगत नियम एवं शर्तों के अधीन है।

2. उल्लिखित समर्थित हुए नीलामी विधायक केवल वेबसाइट <https://baanbank.com> में माध्यम से 'ऑनलाइन' ई- नीलामी/ के माध्यम से उपर लिखित विधियों को दोषपूर्ण 01:00 बजे से रात्रि 04:00 बजे तक समर्थित होगी। नीलामी के अंतिम में निम्न में संविदा प्राप्त होने की स्थिति में प्रत्येक 5-5 मिनट के असीमित विस्तार दिया जायेगा। संविदाकार समर्थित हेतु ऑनलाइन संविदा के दौरान अपने प्रस्ताव समर्थनियों के सामने लिखित राशियों के गृहण में बड़ा सकेगे।

3. संविदाकार द्वारा ई-पट्टी सहित ऑनलाइन संविदा हेतु केवाईसी जमा करने उपर लिखित समर्थितों हेतु अनिवार्य तिथि उपर लिखित है।

4. ई- नीलामी के इच्छुक भागीदार विधायक सूचना की ई- नीलामी के नियम एवं ई- नीलामी के प्रचालनमाध्यम भाग के हेल्प मैनुअल <https://baanbank.com> से निम्नोक्त डाउनलोड कर सकते हैं।

5. इच्छुक संविदाकार/ जेता को अपने माध्यम नम्बर तथा ई-मेल आड्रेस का प्रयोग करने हेतु पट्टी (<https://baanbank.com>) पर पंजीकृत होना को निम्नित विधायक जाता है। पुनः उन्हे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने हैं। ई- नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा कर केवाईसी दस्तावेज सात्यापित होने में समय लग सकता है। इच्छुक संविदाकारों/ जेताओं को अपने वॉलब बल्ले में ऑनलाइन/ बालान बैलेंस ई-मेल का प्रयोग करने हेतु ई-पट्टी राशि अतिरिक्त करनी होगी। उसके वल्ले में पयोज ई-पट्टी होने के पश्चात ही इच्छुक संविदाकार ई-नीलामी की तिथि पर बोली लगाने में स्वतन्त्र होंगे।

6. उर्ध्वोक्त जमा पध्दति राशि (ई-पट्टी) <https://baanbank.com> से बालान सृजित करने के उपरान्त अपने आर्वा ऑनलाइन माध्यम से संविदाकार के 'रॉलब बल्ले' में जमा करनी होगी। तत्पश्चात् निम्न विधियों को बोली लगाने जा सकती है। अपेक्षित ई-पट्टी ऑनलाइन नहीं जमा करने वाले संविदाकारों के ई- नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7. संविदाकार को जमा की संमत राशि को प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल में निम्नलिखित तिथि पर संविदाकार को प्रत्येक समर्थित के लिए ई-पट्टी जमा करनी होगी। बोली के समय संविदाकार के 'रॉलब बल्ले' में पर्याप्त राशि (ई-पट्टी राशि के बराबर या अधिक) होनी चाहिए।

8. विक्रय के पट्टी एवं ई- नीलामी के प्रचालनमाध्यम भाग के हेल्प मैनुअल उपर लिखित है।

9. ई- नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अपने उरकद दोस्त किसी किरायेदार या सहायक की अपरवाक्यता के लिए हमने ई- नीलामी सेवा प्रदाता <https://baanbank.com> के अधिकृत प्रतिनिधि से समर्क करें। जिसका प्रदत्त ई-नीलामी पॉर्टल पर उपलब्ध है।

10. याधिकृत अधिकारी द्वारा ई- नीलामी को अनिवार्य स्वरूप प्रदत्त करने के बाद केवल सफल संविदाकार को हमारे उपर्युक्त संविदा प्रतिलिपि सेवा प्रदाता द्वारा ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जायेगा। (उत्सक द्वारा प्रदत्त माइलड नम्बर/ ई-मेल पते पर/ सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत)

11. प्रतिस्पर्धित्व अतिरिक्त निमग्न से कम पर नीलामी बोली देनी होगी।

12. सफल संविदाकार को जमा की गयी ई-पट्टी राशि घटानेकर संविदा राशि का 25 प्रतिशत उरकद या अधिक अनिवार्य कांफिडेंस तक बैंक में रोकें जमा करनी होगी तथा शेष राशि नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी, बैंक और/मारादृष्ट के खाते में आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से खाता नम्बर--SARFAESI AUCTION ACCOUNT, खाता सं 60441918056, IFSC कोड: MAH00001281 और कोड मारादृष्ट 'विकास नगर, लखनऊ' बालान में जमा करनी होगी। उर्ध्वोक्त प्राधिकृत निमग्न-सीमा के भीतर राशियों के जमा करने में अस्फल होने पर सफल संविदाकार द्वारा जमा की गई राशि बैंक द्वारा जप्त कर दी जायेगी और SARFAESI अधिनियम, 2002 के प्राधान्यों के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी को सम्पत्ति की नई नीलामी। किसी करके अधिकार होगा तथा घुसकात संविदाकार का जमा की गयी राशि तथा सम्पत्ति पर कोई दावा नहीं होगा।

13. संविदाकार को लेने पध्दति: (अ) बैंक के पट्टे संग्रहित करके कोई अग्रभार भ्रान्त नहीं है। फिर भी, इच्छुक संविदाकार को ई- नीलामी प्रक्रिया में अपनी संविदा जमा करने से पूर्व उरकद राशि, नीलामी पर रखी सम्पत्ति के स्वायत्त, सम्पत्ति का मौलिक अंशगत तथा दावों /अधिकारों/ बकायों/ सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को विवेचन में अपनी स्वतन्त्र पुनरावलोकन करना होगा। (ब) संविदाकारों को बोली लगाने से पूर्व किसी भी अधिकार, करके, बकायों, दावों आदि के विषय में स्वयं अपनी निजी पुनरावलोकन करना होगा और न कि निर्मित करेगा। ई- नीलामी विधान बैंक की ओर से किसी प्रतियवदा अस्मत्त किसी प्रतिनिधि होने से न तो निर्मित करेगा। यह सम्पत्ति बैंक की जानकारी और गैर- जानकारी में सम्मत्त वल्लेमान तथा भावी अग्रभार सहित किसी भी दावा है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रतिस्पर्धित्व लेनदार/ अधिकारी किसी प्रकार से किसी दावा/ अधिकार/ बकायों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

14. बैंक किसी भी प्रस्तावित विधायक से परिचय नहीं करेगी अतः, लालच, धमकी आदि के लिए अस्वादा अधिकारी किसी भी किसी के परिचय तथा/अस्वा सम्पत्ति में किसी कारणों जैसे पानी/ संचार प्रसार के बकायों, अनियम शुल्क, नगर निगम/स्थानीय प्राधिकरण/ सहकारी आवास समिति के बकायों या कोई अन्य गैर- जमा, कर, लेवी, शुल्क, अनियम शुल्क, यदि कोई हो, का कोई उपर लिखित नहीं होता है। सफल संविदाकार को सम्पत्ति के बंध से सम्पत्ति आरम्भ के अग्रभारों का अनुपलान करके तथा प्रत्येक ई- नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को कर अर्ज करनी होगी।

15. संविदाकारों को सम्पत्ति सहायक निम्नलिखित है: (अ) संविदाकारों को सम्पत्ति के बंध से सम्पत्ति आरम्भ के अग्रभारों का अनुपलान करके तथा प्रत्येक ई- नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को कर अर्ज करनी होगी।

16. संविदाकारों को संविदा जमा करने तथा ऑनलाइन संविदा/ नीलामी में भाग लेने से पूर्व किसी भी संमत निमग्न एवं शर्तों तथा साथ ही संमत सहायक निम्नलिखित है: (अ) संविदाकारों को सम्पत्ति के बंध से सम्पत्ति आरम्भ के अग्रभारों का अनुपलान करके तथा प्रत्येक ई- नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को कर अर्ज करनी होगी।

17. विक्रय सूचना/ निम्नित दस्तावेज में प्रदर्शित संवर्धन/ स्वायत्त निमग्न के बंध बकायों विधिक देसाए/ दायित्व आदि कोरों(ई) द्वारा वास्तविक तिथि जायेगी।

18. किसी भी सूचना/ निम्नित दस्तावेज में भी अस्वादी की जा रही है। यदि ई-पट्टी वास्तव में कोई विवाद होता है तो उरकद अस्वरूप को रक्षित हो जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी को पत्र इनर आम ई-नीलामी को विना कोई संविदाकार बनाए किसी भी समय इसे निरस्त करने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है।

19. संविदाकारों को किसी भी विवर्तन निमग्न एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक निम्न की सहाय दी जायती है, कृपया बैंक के वेबसाइट में प्रचालित निम्न <https://www.bankofmaharashtra.in/proposal.asp> तथा साथ ही ई-विक्रय पोर्टल <https://baanbank.com> (इसे या सम्पर्क करें ई-मेल--support.ebrary@psballance.com ई-विक्रय को 8291220220 तथा मध्य, पंचमक वल्ले, बैंक और/मारादृष्ट, अन्तराधिकार, पध्दत नगर, उत्तर प्रदेश प्रसार कार्पोरेशन लिमिटेड, विपिन लुहान, गोमती नगर, लखनऊ-226010 पर सम्पर्क किया जा सकता है।) ही निम्नरूप में रात्रि (दोपहर-04:00 बजे तक) emmarc.luc@baanbank-bank.in, 8016563733) और यहाँ